


मध्यप्रदेश शासन,
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 29/10/2020

क्रमांक एफ 17-10/2020/38-1- इस विभाग के आदेश क्रमांक 1020/2344/ 2020/ 38/1, दिनांक 21.08.2020 द्वारा डॉ. शोभा सुद्रास, प्राचार्य, शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय, देवास का स्थानांतरण प्रशासकीय आधार पर शासकीय महाविद्यालय, अलीराजपुर किया गया था। स्थानांतरण आदेश के विरुद्ध मान. उच्च न्यायालय, इंदौर में दायर WP 12374/2020 में मान. न्यायालय द्वारा दिनांक 27.08.2020 को डॉ. शोभा सुद्रास के स्थानांतरण आदेश पर स्थगन दिया गया जिसके पालन में डॉ. शोभा सुद्रास शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय, देवास में कार्यरत रहीं। मान. उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.10.2020 को पारित अंतिम निर्णय में डॉ. शोभा सुद्रास की याचिका खारिज की गयी। मान. उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के परिपालन में प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, देवास द्वारा डॉ. शोभा सुद्रास को दिनांक 13.10.2020 को कार्यमुक्त किया गया जिसके उपरांत भी डॉ. शोभा सुद्रास द्वारा नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया।

3/ डॉ. शोभा सुद्रास द्वारा शासन आदेशों का उल्लंघन कर प्रशासकीय आदेश की अवहेलना की गयी है जो मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियमों के विपरीत होने से राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. शोभा सुद्रास को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय कार्यालय क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, इंदौर संभाग, इंदौर नियत करता है। इस आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि के दौरान डॉ. शोभा सुद्रास, प्राचार्य को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।


(श्वेता पवार)


उप सचिव,

म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 29/10/2020

पृ. क्रमांक एफ 17-10/2020/38-1

1. स्टाफ आफिसर, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुडा भवन, भोपाल, म.प्र.।
3. जिला कोषालय अधिकारी, देवास/अलीराजपुर।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, इंदौर संभाग, इंदौर/उज्जैन संभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. प्राचार्य, शासकीय नवीन महाविद्यालय, देवास।
6. प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, अलीराजपुर।
7. डॉ. शोभा सुद्रास, प्राचार्य, शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय, देवास।
8. आर्डर बुक।


उप सचिव,

म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग